

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2203 / 2013 / भीलवाड़ा.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एक्वाटेक स्टीलकोन प्रा० लि०, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 10 / 05 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 51/वैट/13-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 04.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण दिनांक 30.09.2009 को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री में जो माल बिना किसी मूल्य के (Free issue goods) दिया गया था तथा बिलों में जो राशि डिस्काउण्ट के रूप में दी गयी थी उस राशि के प्रस्तुत 'सी' फॉर्म में सम्मिलित नहीं होने से उस राशि पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 11.07.2011 के जरिये यह निर्णय दिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी free issue goods की राशि पर अन्तर कर एवं ब्याज नहीं लगाये, इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। उस अपीलीय आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में द्वितीय अपील की जाने पर दिनांक 29.10.2013 को पूर्ण विवेचन के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। इसी बीच अपीलीय आदेश दिनांक 11.07.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....2





दिनांक 04.06.2013 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया जिसमें free issue goods पर कर आरोपित नहीं किया गया परन्तु डिस्काउण्ट की राशि पर 'सी' फॉर्म नहीं होना मानते हुए अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2013 को आदेश पारित कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें ट्रेड डिस्काउण्ट को कुल बिक्री में शामिल मानकर जो अतिरिक्त कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था उस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई मनन नहीं किया जाना मानते हुए डिस्काउण्ट को बहियात से सत्यापन कर नियमानुसार होने के आधार पर पुनः आदेश पारित करने के लिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलीय आदेश, कर निर्धारण आदेश एवं प्रस्तुत रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 में free goods एवं डिस्काउण्ट की राशि पर 'सी' फॉर्म नहीं होने की अवधारणा पर जो अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया था उसे प्रथम अपीलीय आदेश से free goods की सीमा तक अपास्त कर दिया गया था परन्तु डिस्काउण्ट के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं किया गया था उसके पश्चात् माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी इन दोनों ही बिन्दुओं पर पुनः कर निर्धारण आदेश करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। मेरे समक्ष प्रस्तुत नवीनतम अपीलीय आदेश में भी पुनः डिस्काउण्ट के बिन्दु पर 'सी' फॉर्म के समर्थन के सम्बन्ध में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक निर्देश नहीं दिये गये हैं कि क्या डिस्काउण्ट की राशि पर 'सी' फॉर्म की आवश्यकता है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में विधिक बिन्दु पर विचार किया गया। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर रियायती कर दर का लाभ धारा 8(4) के अनुसार 'सी' फॉर्म समर्थित होने पर ही दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी विक्रय राशि पर करारोपण किसी व्यवसायी के टर्नओवर पर किया जाता है जबकि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 में करारोपण व्यवहारी के अन्तर्राज्यीय टर्नओवर पर आधारित है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(जे) में टर्नओवर की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है :-



लगातार.....3




**Sec.2(j)** “Turnover” used in relation to any dealer liable to tax under this Act means the aggregate of the sale prices received and receivable by him in respect of sales of any goods in the course of inter-State trade or commerce made during any prescribed period and determined in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

5. उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि टर्नओवर वह राशि है जो किसी व्यवसायी द्वारा बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकरण में फ्री गुड्स मूल्यरहित है एवं डिस्काउण्ट की राशि क्रेता की प्रतिफल राशि में से कम की गई राशि है व वह उसके टर्नओवर का भाग नहीं है अतः उस राशि पर किसी करारोपण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

6. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के दृष्टिगत कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय टर्नओवर पर करारोपण करें अर्थात् जो राशियां डिस्काउण्ट के रूप में विक्रय मूल्य से कम की गई है उसका सत्यापन किया जाकर वास्तविक प्राप्त योग्य बिक्री राशि पर करारोपण करें और उसी अनुसार 'सी' फॉर्म को स्वीकार करें।

7. उक्त निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। चूंकि अपीलीय आदेश में भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है अतः उस आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य